ई संख्याः 907 /XV-I/25/63495

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार भट्ट,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–01

देहरादून : दिनॉक 02 जून, 2025।

विषय : निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों के निर्माण एवं उनके भरण–पोषण हेतु नीति प्रख्यापन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, के पत्र संख्याः 3837 UAWB(52TOP) दिनांकः 21.03.2025 के संदर्भ में अवगत कराना है कि निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों की स्थापना व संचालन सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्याः 36254 दिनांकः 26.06.2023 (यथा संशोधित दिनांकः 24.11.2023) में निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों के निर्माण का कार्य शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतीराज विभाग द्वारा किया जा रहा है। उक्त निर्माण प्रकिया तथा बजट आवंटन में कई विभागों के सम्मिलित होने के कारण उक्त नीति के क्रियान्वयन में कठिनाईयां एवं प्रक्रियागत विलम्ब हो रहा है।

2. अतः उक्त कठिनाईयों के निराकरण हेतु शासनादेश संख्याः 36254 दिनांकः 26.06.2023 (यथा संशोधित दिनांकः 24.11.2023) को अवक्रमित करते हुए निम्नवत् समेकित नीति प्रख्यापित की जाती हैः–

1. निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों/गोशालाओं की स्थापना/सुविधांए संबंधी निर्माण कार्य सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अंतर्गत करवाया जायेगा। इस हेतु एकीकृत बजट की व्यवस्था पशुपालन विभाग के सम्बन्धित मानक मद में की जायेगी। इसी प्रकार वर्तमान प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत उक्त गोसदनों में निराश्रित गोवंश के भरण पोषण हेतु बजट की व्यवस्था पशुपालन विभाग के संगत मदों में करते हुए उसे सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखा जायेगा।

2. निराश्रित गोवंश को भरण पोषण हेतु दिये जाने वाले

अनुदान एवं उनके लिये निर्मित होने वाले गोशालाओं के लिये बजट आवंटन हेतु पशुपालन विभाग नोडल विभाग होगा। इस हेतु बजट की व्यवस्था पशुपालन विभाग के संगत मानक मदों में की जायेगी।

3. निराश्रित गोवंश हेतु निर्मित होने वाले गोशालाओं हेतु बजट एवं भरण पोषण अनुदान सम्बन्धी बजट सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखा जायेगा। गौसदनों हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी के निर्देशन में, स्थानीय निकायों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में पूर्व की भांति गौसदनों के निर्माण/अनुरक्षण, संचालन एवं पर्यवेक्षण आदि की कार्यवाही की जायेगी।

4. नगर निकायों द्वारा संचालित कांजी हाउस के संचालन एवं उससे सम्बन्धित व्ययों के संबंध में पशुपालन विभाग का दायित्व मात्र निराश्रित गोवंश के चिकित्सकीय उपचार तक सीमित होगा तथा कांजी हाउसों का संचालन पूर्व की भांति नगर निकायों द्वारा ही किया जायेगा।

5. सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने नियंत्रण एवं निर्देशन में निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था का चयन करते हुए समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कराकर बजट का आवंटन सुनिश्चित करेंगे। भरण पोषण हेतु निर्धारित अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से दिया जायेगा।

6. गौशाला निर्माण/विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु बजट आवंटन निम्न 04 श्रेणियों के अंतर्गत किया जायेगा–

(i) **सरकारी भूमि पर स्थानीय निकाय द्वारा गौशाला निर्माण हेतु 100 % राजकीय अनुदान**– जिला स्तरीय समिति द्वारा पहले अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। तत्पश्चात भी बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि की मॉग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(ii) **सरकारी भूमि पर पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा गौशाला निर्माण हेतु पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा 40% एवं राजकीय अनुदान 60%-** जिला स्तरीय समिति द्वारा पहले अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। तत्पश्चात भी बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर

अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(iii) **निजी भूमि पर पंजीकृत गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा गौशाला निर्माण हेतु पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा 40% एवं राजकीय अनुदान 60%-** जिला स्तरीय समिति द्वारा पहले अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। तत्पश्चात भी बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(iv) **पूर्व से संचालित (पूर्व मान्यता प्रदत्त) गौशाला का पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण, संस्था द्वारा 40% एवं राजकीय अनुदान 60%-** जिला स्तरीय समिति द्वारा पहले अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। तत्पश्चात भी बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

7. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निराश्रित गोवंश हेतु गोशाला का निर्माण पशुपालन विभाग द्वारा निर्धारित मानकीकृत डिजाइन/लागत के आधार पर कराया जायेगाा। मानक आंगणन 50 पशुओं हेतु रू0 46.00 लाख एवं 100 पशुओं हेतु रू0 66.00 लाख निर्धारित किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में Land Development Charges को भी सम्मिलित करते हुए आंगणन प्रेषित किया जायेगा। (मानक डिजाइन संलग्न)

8. गोसदन में शरणागत गोवंशीय पशुओं की संख्या में वृद्धि होने पर, मानक आंगणन में Cowshed एवं भूसा स्टोर की लागत में भी आनुपातिक वृद्धि की जा सकेगी।

9. निराश्रित गोवंश हेतु गोशालाओं की स्थापना पर निर्णय एवं कार्यवाही तथा भरण पोषण अनुदान निर्गत किये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें पशुपालन विभाग, शहरी विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग के अधिकारी भी सम्मिलित होगें।

10. शासन स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा। गठित 'राज्य स्तरीय समिति' में सचिव, पंचायतीराज विभाग, सचिव, पशुपालन

के अतिरिक्त निदेशक, पंचायतीराज, निदेशक, शहरी विकास निदेशालय तथा निदेशक, पशुपालन भी सम्मिलित रहेगें। गोसदनों के निर्माण की प्रगति/बजटीय व्यवस्था की समीक्षा हेतु उक्त समिति की बैठक प्रत्येक 03 माह में आहूत की जायेगी।

11. उक्त व्यवस्था इस हेतु शासनादेश निर्गत हो जाने पर लागू होगी। इससे पूर्व शहरी विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन अथवा प्रारम्भ हो चुके गोसदनों के निर्माण हेतु बजट आवंटन का कार्य सम्बन्धित शहरी विकास/पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा।

12. रू0 01 करोड़ तक की लागत वाले गोसदनों के निर्माण कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे।

13. रू0 5 करोड़ तक के सभी आगणनों/प्रस्तावों की जिला स्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा अनिवार्य रूप से जॉच की जायेगी। रू0 01 करोड़ से अधिक के आगणनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन स्तर पर गठित समिति के माध्यम से पशुपालन विभाग द्वारा यथाप्रक्रिया प्रदान की जायेगी।

14. गोसदनो के निर्माण एवं रख रखाव की स्वतंत्र निगरानी एवं मूल्यांकन तीसरे पक्ष (Third Party) के माध्यम से किया जायेगा।

15. नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित गोवंश को पकड कर गोसदनों में पहुंचाने की व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा की जायेगी। इस हेतु उनके स्तर पर कैटल लिफ्टिंग की व्यवस्था की जायेगी।

16. भविष्य में उक्त नीति में यथाआवश्यक संशोधन हेतु पशुपालन विभाग अधिकृत होगा।

3. अतः उक्त नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (S.O.P) संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त नीति का प्रभावी क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

Digitally signed by
Rajendra Kumar Bhatt
Date: 02-06-2025
12:22:07

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव।

ई संख्याः 909 /XV-1/25/62949तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, शहरी विकास विभाग/पंचायती राज विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन को महोदय के

संज्ञानार्थ।

3. मण्डलायुक्त कुमॉऊ/गढ़वाल मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6. निदेशक शहरी विकास/पंचायतीराज, उत्तराखण्ड।
7. अनुभाग अधिकरी, शहरी विकास अनुभाग–02/पंचायतीराज अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
8. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
9. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

राजेन्द्र कुमार भट्ट
संयुक्त सचिव।

ई संख्या: 909/XV-I/25/63495/25/63495, दिनांक– 02/6/ का संलग्नक

निराश्रित गौवंश हेतु गौशाला निर्माण के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया

Category -1 **सरकारी भूमि पर स्थानीय निकाय द्वारा गौशाला निर्माण हेतु 100 प्रतिशत राजकीय अनुदान** (जिला स्तरीय समिति द्वारा पहले अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। तत्पश्चात भी बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा)

भूमि चिन्हीकरण

- सर्वप्रथम डी0एल0सी0 के नेतृत्व में जिला प्रशासन/शहरी विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग/पशुपालन विभाग के समन्वय से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित अलाभकर गौवंश की संख्या निर्धारण हेतु सर्वेक्षण एवं इसके पश्चात् भूमि का चिन्हीकरण किया जायेगा।

संचालन हेतु गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था का चयन

- जिला स्तरीय समिति के माध्यम से भूमि का चिन्हीकरण किये जाने के उपरान्त चिन्हित भूमि पर गोसदन संचालन हेतु विज्ञप्ति के माध्यम से पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्थाओं को आमंत्रित कर अनुबन्ध किये जाने हेतु संस्था का चयन किया जायेगा।

निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का चयन

- डी0एल0सी0 द्वारा स्थानीय निकाय को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया जायेगा। तत्पश्चात् गोसदन निर्माण हेतु डीपीआर (मानकों के अनुरुप) तैयार कर जिला स्तरीय समिति के स्तर पर TAC करायी जायेगी। जिला स्तरीय समिति रू0 05 करोड तक के आंगणन प्रस्तावों की TAC हेतु भी अधिकृत होगी।

बजट आवंटन

- चिन्हित भूमि पर निराश्रित गोवंश हेतु गोसदन की स्थापना हेतु सर्वप्रथम DLC द्वारा अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर तदनुसार अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किये जायेगें।
- निर्धारित मानक डिजाइनों के अन्तर्गत रू0 01 करोड़ तक की लागत वाले गोसदनों के निर्माण कार्य के बजट आवंटन हेतु संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। रू0 01 करोड़ से अधिक के आगणनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन स्तर पर गठित समिति के माध्यम से यथाप्रक्रिया प्रदान की जायेगी।
- मानक आंगणन 50 पशुओं हेतु Rs 46.00 लाख एवं 100 पशुओं हेतु Rs 66.00 लाख निर्धारित किया गया है। (संलग्नक–1)। पर्वतीय क्षेत्रों में Land Development Charges को सम्मिलित करते हुए आंगणन बनाया जायेगा।
- गोसदनों के निर्माण में स्थायी निर्माण की बाध्यता को समाप्त करते हुए अस्थायी निर्माण (टिन शेड् – मानक मानचित्र के अनुरुप) को प्राथमिकता दी जायेगी।
- गोसदन में शरणागत गोवंशीय पशुओं की संख्या में वृद्धि होने पर, मानक आंगणन में Cowshed एवं भूसा स्टोर की लागत में भी आनुपातिक वृद्धि की जा सकेगी।
- बजट धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से एक वर्ष के भीतर कार्य पूर्ण कराया जायेगा।
- गोसदन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा

बजट धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित लेखा परीक्षण रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति एवं एक छायाप्रति सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड को भी प्रेषित की जायेगी।

• नवनिर्मित गोसदन का उपयोग निराश्रित गोवंशीय पशुओं को शरण देने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के कार्य हेतु उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

• सरकारी अनुदान बजट उपलब्धता के आधार पर निर्गत किया जायेगा। सामान्यतः इसे 40:40:20 के रूप में तीन किश्तों में जारी किया जायेगा।

Category -2 सरकारी भूमि पर पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा गौशाला निर्माण (संस्था द्वारा 40% राजकीय अनुदान 60%)

भूमि चिन्हीकरण

• सर्वप्रथम डी0एल0सी0 के नेतृत्व में जिला प्रशासन/शहरी विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग/पशुपालन विभाग के समन्वय से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित अलाभकर गौवंश की संख्या निर्धारण हेतु सर्वेक्षण एवं इसके पश्चात् भूमि का चिन्हीकरण किया जायेगा।

• जिला स्तरीय समिति के माध्यम से भूमि का चिन्हीकरण किये जाने के उपरान्त चिन्हित भूमि पर गोसदन संचालन एवं निर्माण हेतु विज्ञप्ति के माध्यम से पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्थाओं को आमंत्रित कर अनुबन्ध किये जाने हेतु संस्था का चयन किया जायेगा।

निर्माण एवं संचालन हेतु गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था का चयन

• पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था को कार्यदायी संस्था के रुप में नामित किये जाने के उपरान्त पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा आगंणन तैयार कर (आर्किटेक्ट द्वारा सरकारी निर्माण एजेन्सी से सत्यापित कराते हुए) जिला स्तरीय समिति को प्रेषित किया जायेगा। तत्पश्चात् गोसदन निर्माण हेतु डीपीआर (मानकों के अनुरुप) तैयार कर जिला स्तरीय समिति के स्तर पर TAC करायी जायेगी। जिला स्तरीय समिति रू 05 करोड तक के आंगणन प्रस्तावों की TAC हेतु भी अधिकृत होगी। प्रस्तावित आंगणन का 40% पंजीकृत गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

बजट आवंटन

• आंगणन के शेष 60 प्रतिशत का सर्वप्रथम जिला स्तरीय समिति द्वारा अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

• निर्धारित मानक डिजाइनों के अन्तर्गत रू0 01 करोड़ तक की लागत वाले गोसदनों के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। रू0 01 करोड़ से अधिक के आगणनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन स्तर पर गठित समिति के माध्यम से यथाप्रक्रिया प्रदान की जायेगी।

• पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा बजट (उपलब्धता के आधार पर) गोसदन निर्माण हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को अवमुक्त किया जायेगा।

• मानक आंगणन 50 पशुओं हेतु Rs46.00 लाख एवं 100 पशुओं हेतु Rs 66.00 लाख निर्धारित किया गया है। (संलग्नक–1)। पर्वतीय क्षेत्रों में Land Development Charges को सम्मिलित करते हुए आंगणन प्रेषित किया जायेगा।

• गोसदनों के निर्माण में स्थायी निर्माण की बाध्यता को समाप्त करते हुए अस्थायी

निर्माण (टिन शेड् –मानक मानचित्र के अनुरुप) को प्राथमिकता दी जायेगी।

• गोसदन में शरणागत गोवंशीय पशुओं की संख्या में वृद्धि होने पर, मानक आंगणन में Cowshed एवं भूसा स्टोर की लागत में भी आनुपातिक वृद्धि की जा सकेगी।

• बजट धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से एक वर्ष के भीतर कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

• गोसदन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा बजट धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित लेखा परीक्षण रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति एवं एक छायाप्रति सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड को भी प्रेषित की जायेगी।

• नवनिर्मित गोसदन का उपयोग निराश्रित गोवंशीय पशुओं को शरण देने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के कार्य हेतु उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

• बजट आंगणन हेतु धनराशि निम्न 03 किश्तों में अवमुक्त की जायेगी–

	पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा	सरकारी अनुदान
प्रथम किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल .आंगणन के 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत
द्वितीय किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत
तृतीय किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 20 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 20 प्रतिशत

Category -3

निजी भूमि पर पंजीकृत गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा गौशाला निर्माण (संस्था द्वारा 40% राजकीय अनुदान 60%)

भूमि स्वामी द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था को गौसदन संचालन हेतु समस्त विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए न्यूनतम 50 वर्ष की रजिस्टर्ड लीज़ पर भूमि दिया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध की तिथि को पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था के पास न्यूनतम 50 वर्ष की रजिस्टर्ड लीज़ भूमि उपलब्ध होनी चाहिए।

• मान्यता प्राप्त सम्बन्धित पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा आगंणन तैयार कर (आर्किटेक्ट द्वारा सरकारी निर्माण एजेन्सी से सत्यापित कराते हुए) जिला स्तरीय समिति को प्रेषित किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति रू 05 करोड तक के आंगणन प्रस्तावों की TAC हेतु भी अधिकृत होगी। जिला स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त डीपीआर का 40 प्रतिशत सम्बन्धित पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा वहन किया जायेगा एवं शेष 60 प्रतिशत जिला स्तरीय समिति/शासन द्वारा वहन किया जायेगा।

बजट आवंटन

• आंगणन के शेष 60 प्रतिशत का सर्वप्रथम DLC द्वारा अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि आदि) बजट की व्यवस्था की जायेगी। बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि

की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

• निर्धारित मानक डिजाइनों के अन्तर्गत रू0 01 करोड़ तक की लागत वाले गोसदनों के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। रू0 01 करोड़ से अधिक के आगणनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन स्तर पर गठित समिति के माध्यम से यथाप्रक्रिया प्रदान की जायेगी।

• पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा बजट (उपलब्धता के आधार पर) गोसदन निर्माण हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को अवमुक्त किया जायेगा।

• मानक आंगणन 50 पशुओं हेतु Rs 46.00 लाख एवं 100 पशुओं हेतु Rs 66.00 लाख निर्धारित किया गया है। **(संलग्नक–1)**। पर्वतीय क्षेत्रों में Land Development Charges को सम्मिलित करते हुए आंगणन प्रेषित किया जायेगा।

• गोसदनों के निर्माण में स्थायी निर्माण की बाध्यता को समाप्त करते हुए अस्थायी निर्माण (टिन शेड् –मानक मानचित्र के अनुरुप) को प्राथमिकता दी जायेगी।

• गोसदन में शरणागत गोवंशीय पशुओं की संख्या में वृद्धि होने पर, मानक आंगणन में Cowshed एवं भूसा स्टोर की लागत में भी आनुपातिक वृद्धि की जा सकेगी।

• बजट धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से एक वर्ष के भीतर कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

• गोसदन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा बजट धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित लेखा परीक्षण रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति एवं एक छायाप्रति सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड को भी प्रेषित की जायेगी।

• नवनिर्मित गोसदन का उपयोग निराश्रित गोवंशीय पशुओं को शरण देने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के कार्य हेतु उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

• बजट आंगणन हेतु धनराशि निम्न 03 किश्तों में अवमुक्त की जायेगी--

	गोसदन द्वारा	**सरकारी अनुदान**
प्रथम किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत
द्वितीय किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत
तृतीय किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 20 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 20 प्रतिशत

Category -4 पूर्व से संचालित (पूर्व मान्यता प्रदत्त) गौशाला का पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण (संस्था द्वारा 40% राजकीय अनुदान 60%)

• पूर्व से संचालित पूर्ण मान्यता प्रदत्त गोसदनों (निर्माण एवं भरण पोषण) के द्वारा गोसदन में शरणागत गोवंशीय पशुओं की संख्या में बढोतरी के कारण नवनिर्माण हेतु भूमि उपलब्धता के आधार पर मानक मानचित्र के अनुरुप आर्किटेक्ट से आगंणन तैयार करवाकर (सरकारी निर्माण एजेन्सी से सत्यापित कराते हुए) डीपीआर मुख्य

पशुचिकित्सा अधिकारी (तकनीकी सदस्य) जिला स्तरीय समिति को प्रेषित की जायेगी। जिला स्तरीय समिति रू 05 करोड तक के आंगणन प्रस्तावों की TAC हेतु भी अधिकृत होगी।

• गोसदन द्वारा मानक मानचित्र के अनुरुप प्रेषित की गयी डीपीआर की जिला स्तरीय समिति द्वारा दिये गये अनुमोदनोपरान्त डीपीआर की 40 प्रतिशत धनराशि गोसदन संचालक द्वारा स्वयं के संसाधनों से वहन की जायेगी।

• आंगणन के शेष 60 प्रतिशत का सर्वप्रथम जिला स्तरीय समिति द्वारा अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

• निर्धारित मानक डिजाइनों के अन्तर्गत रू0 01 करोड़ तक की लागत वाले गोसदनों के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। रू0 01 करोड़ से अधिक के आंगणनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन स्तर पर गठित समिति के माध्यम से यथाप्रक्रिया प्रदान की जायेगी।

• पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्माण मद में बजट उपलब्धता के आधार पर गोसदन निर्माण हेतु बजट सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को अवमुक्त किया जायेगा।

• मानक आंगणन 50 पशुओं हेतु Rs46.00 लाख एवं 100 पशुओं हेतु Rs 66.00 लाख निर्धारित किया गया है। **(संलग्नक–1)**। पर्वतीय क्षेत्रों में Land Development Charges को सम्मिलित करते हुए आंगणन प्रेषित किया जायेगा।

• गोसदनों के निर्माण में स्थायी निर्माण की बाध्यता को समाप्त करते हुए अस्थायी निर्माण (टिन शेड् –मानक मानचित्र के अनुरुप) को प्राथमिकता दी जायेगी।

• गोसदन में शरणागत गोवंशीय पशुओं की संख्या में वृद्धि होने पर, मानक आंगणन में Cowshed एवं भूसा स्टोर की लागत में भी आनुपातिक वृद्धि की जा सकेगी।

• बजट धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त गोसदन द्वारा कार्यदायी संस्था से एक वर्ष के भीतर कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

• गोसदन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा बजट धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित लेखा परीक्षण रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति एवं एक छायाप्रति उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड को भी प्रेषित की जायेगी।

• बजट आंगणन हेतु धनराशि निम्न 03 किश्तों में अवमुक्त की जायेगी–

	गोसदन द्वारा	**सरकारी अनुदान**
प्रथम किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत
द्वितीय किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत
तृतीय किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 20 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 20 प्रतिशत

- गोसदनो के निर्माण एवं रख रखाव की स्वतंत्र निगरानी एवं मूल्यांकन तीसरे पक्ष(Third Party) के माध्यम से किया जायेगा।
- तकनीकी सलाह के आधार पर अस्थायी गोसदनों के निर्माण की समय–सीमा को कम किया जायेगा। गोसदनों के निर्माण हेतु मानक आगणन को नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा वैट किया जायेगा।
- निराश्रित गोवंश की समयबद्व गणना की जायेगी, ताकि आवश्यक गोसदनों के निर्माण की योजना बनायी जा सकें। उक्त गणना के आधार पर प्राप्त डाटा का उपयोग निराश्रित गोशाला के निर्माण हेतु किया जायेगा।
- निदेशक, पशुपालन आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तावित बजट के लिए समस्त जनपदों से प्रस्तावित गोसदनों के निर्माण हेतु बजट प्रस्ताव संकलित करते हुए प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर माह तक पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि नवम्बर/दिसम्बर माह में शासन स्तरीय समिति की बैठक के पश्चात उक्त बजट मांग वित्त विभाग को प्रेषित की जा सके।

उपबन्ध

(i) Category -1 एवं Category -2 में संचालन हेतु जनपद स्तरीय समिति द्वारा अनुबन्ध से निर्धारित पंजीकृत गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था से न्यूनतम 10 वर्षों के लिए अनुबन्ध किया जायेगा। अनुबन्ध अवधि में संस्था का कार्य उत्कृष्ट पाये जाने पर अनुबन्ध अवधि में वृद्धि (अनुबन्ध नवीनीकरण) जनपद स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा के उपरान्त की जा सकेगी।

(ii) गोसदन संचालन में असमर्थता की दशा में अनुबन्धित संस्था द्वारा जिला स्तरीय समिति को तीन माह पूर्व सूचित करना अनिवार्य होगा।

(iii) गोवंश प्रबन्धन/लेखा परीक्षण/भू उपयोग में अनियमितता पाये जाने पर जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुबन्धित संस्था को 07 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देशित किया जायेगा। दो बार नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी अनुबन्धित संस्था का कार्य सन्तोषजनक न पाये जाने की दशा में या किसी भी विवाद की दशा में अनुबन्धित संस्था का अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा। इस संबंध में जिला स्तरीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

(iv) अनुबन्ध निरस्त होने की दशा में पुनः गोसदन संचालन का दायित्व किसी भी अन्य अर्ह संस्था को हस्तान्तरित करने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।

(v) सरकारी भूमि पर पंजीकृत गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था का स्वामित्व मात्र प्रबन्धकीय कार्यों हेतु ही होगा।

जिला स्तरीय समिति द्वारा जनपदों में संचालित मान्यता प्रदत्त एवं अनुबन्धित गोसदनों को भरण–पोषण मद में अनुदान दिये जाने हेतु प्रावधान

1. निराश्रित गोवंश को भरण–पोषण मद में दिये जाने वाले निर्धारित अनुदान (वर्तमान में रू0 80 प्रतिगोवंश प्रतिदिन) के लिए पशुपालन विभाग नोडल विभाग होगा। शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत भरण–पोषण हेतु प्रावधानित अनुदान तथा आबकारी विभाग के अन्तर्गत सेस से प्राप्त धनराशि को पशुपालन विभाग की संगत मदों में प्राप्त कर सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखा जायेगा। पशुकल्याण बोर्ड एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगी।

2. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने जनपद अन्तर्गत गोसदनों को भरण–पोषण मद में दिये जाने वाले राजकीय अनुदान हेतु बजट मांग प्रपत्र जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरान्त उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड को समयान्तर्गत प्रेषित करना होगा।

3. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने जनपद अन्तर्गत गोसदनों की मासिक प्रगति आख्या निर्धारित प्रारुप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

4. उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड द्वारा समस्त जनपदों की संकलित बजट मांग का प्रस्ताव समयान्तर्गत शासन को प्रेषित किया जायेगा। शासन द्वारा भरण–पोषण अनुदान निर्गत होने पर जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित संस्थाओं का उक्त अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से दिया जायेगा।

5. शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरुप जनपद स्तरीय समिति को आबंटित धनराशि जनपद अन्तर्गत संचालित गोसदनों को माह में उपलब्ध शरणागत गोवंशीय पशुओं की औसत संख्या के अनुरुप देय होगी।

6. पंजीकृत गोसदनों में गोवंशीय पशुओं की भली प्रकार देख–रेख एवं नियमित रुप से जांच किये जाने हेतु प्रत्येक गोसदन में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाने अनिवार्य होंगे।

7. जनपद स्तरीय समिति द्वारा किसी भी गोसदन को अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा एवं माह मार्च का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

8. गोसदन में क्षमता से अधिक गोवंशीय पशु होने की दशा में क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी की आख्या के आधार पर, जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लेते हुए (सम्बन्धित स्थानीय निकायों के माध्यम से) गोवंश को अन्यत्र मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों की क्षमता के आधार पर विस्थापित किया जायेगा तथा गोसदन को मानक संख्या के अनुरुप ही राजकीय अनुदान देय होगा।

9. मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को भरण–पोषण एवं निर्माण मद में दिये गये राजकीय अनुदान का समायोजन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से सत्यापित लेखा परीक्षण के उपरान्त सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

10. सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा मान्यता प्रदत्त पशुकल्याण संस्था से रु० 100/- के अनुबन्ध पत्र (समय–समय पर यथासंशोधित) में यह लिखित रुप से प्राप्त कर लिया जायेगा कि, भरण–पोषण मद में निर्गत की गई राजकीय अनुदान धनराशि का उपयोग निराश्रित गोवंशीय पशुओं के भरण–पोषण हेतु ही किया जायेगा।

11. शासन/प्रशासन/उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड द्वारा अधिकृत कोई भी प्रतिनिधि संस्था का किसी भी समय में निरीक्षण हेतु सक्षम होगा। इस क्रम में संस्था द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा।

Digitally signed by
Rajendra Kumar Bhatt
Date: 02-06-2025
12:19:50

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव।